

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) नि.प./ (आई-244/94)/अलेसे-III/204/9-60 दिनांक :- 24.1.14

कार्यालय आदेश

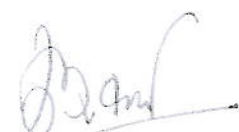
श्री इन्दरलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर के विरुद्ध तत्कालीन उपकोष कार्यालय मारवाड़ जंक्शन (पाली) में सामाजिक सुरक्षा के 31 पेंशनर्स की पेंशन स्वीकृति अवधि समाप्त होने के बाद भी पेंशनर्स के अवधिपार पेंशन राशि के बिल तैयार कर कुल राशि रूपए 2,30,400/- रूपए का भुगतान कर राजकोष को सदोष हानि कारित करने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अभियोग संख्या 226/2011 अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 दर्ज होने के पश्चात् प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दिनांक 24.01.2014 को जारी करने के कारण श्री इन्दरलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार पुत्र श्री फाऊलाल सांखला को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इन्हें निलंबन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कोषालय सचिवालय, जयपुर में किया जाता है, जहां वे नियमित उपस्थिति देंगे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) नि.प./ (आई-244/94)/अलेसे-III/204/9-60 दिनांक :- 24.1.14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. उप अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. कोषाधिकारी, पाली।
5. उपकोष कार्यालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली)।
6. श्री इन्दरलाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर।
7. पदस्थापन शाखा/कम्प्यूटर शाखा, वेबसाइट हेतु।
8. निजी सहायक, निदेशक कोष एवं लेखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)